निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1941 (श0)

(सं0 पटना 1359) पटना, वृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर 2019

सं0 स0सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–69/2019 परि0–841––मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–138(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।–(1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसक`अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–215 के उपनियम (4) के बाद एक उपनियम (5) निम्न रूप से अंतःस्थापित किया जाता है:–

''215(5)(क) मोटरयान दुर्घटनाओं के कारणों के बाबत गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए स्कीम अधिसूचित की जा सकेगी, जिसके अन्तर्गत दुर्घटनाओं के कारणों के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने हेतु विभागीय स्तर से समिति गठित की जा सकेगी, जिसके सदस्यों के संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत राजमार्गों पर मार्गस्थ सुख–सुविधाएँ बढ़ाने तथा यातायात नियमों के अनुपालन एवं अनुश्रवण के लिए यातायात सहायता चौकियों की स्थापना के संबंध में अधिसूचना निर्गत की जा सकेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 24th December 2019

No. स0सु0(लीड एजेन्सी)विविध–05–69/2019,परि0, 841––In exercise of the powers conferred by sec-138 (1) of the Motor Vehicle Act 1988 (Act 59,1988), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in The Bihar Motor Vehicle Rule, 1992:-

1. Short title, extent and commencement;-

(1) These Rules may be called the Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its final publication in the Bihar Gazette.

2. After sub rule (4) of Rule-215 of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 one sub rule (5) is inserted in following way:-

"215 (5) (A) A scheme for in-depth study on causes and analysis of motor vehicle accidents can be notified, under which a committee can be set up by the department,and its members will be decided by the department.

(B) Under this scheme, for increasing wayside amenities on highways and for obeyence and monitoring of traffic rules, establishment of traffic assistance post can be notified."

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Agarwal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1359-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in